

लोक सुनवाई का वृत्त।

श्री बिजेन्द्र कुमार, पिता-श्री धूपनाथ राय, ग्राम-जित्रखान टोला, पोस्ट-ब्यापुर, थाना-मनेर, जिला-पटना द्वारा सोन-28 बालू घाट, मौजा- बंशीडिहरी, प्रखंड-सहार, जिला-भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 19.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय सहार, सहार, जिला-भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2263/2023, dt. 31.01.2023 के आलोक में श्री मनोज कुमार झा, अपर समहर्ता, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, द्वारा दिनांक 19.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय सहार, सहार, जिला-भोजपुर में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री आमिर अख्तर ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (550 नं०)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैं:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री धीरज कुमार, ग्राम- बंशीडिहरी, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन कितने गहराई तक होगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन सतह से 03 मीटर गहराई तक किया जायेगा। अपर समहर्ता, भोजपुर द्वारा बताया गया कि 03 मीटर से ज्यादा खनन करने पर स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत करने पर उनपर कार्रवाई होगी।
2.	श्री रंजन कुमार, , ग्राम- बंशीडिहरी, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन से जो प्रदूषण होंगे, उनके लिए क्या-क्या उपाय किये गये हैं। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। यातायात के नियमों को सुनिश्चित किया जायेगा। दिन में 02 बार जल-छिड़काव किया जायेगा।
3.	श्री दीपु कुमार यादव, ग्राम- बंशीडिहरी, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि 12 महीने बालू खनन होगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि मौनसून के समय (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर) में बालू खनन बंद रहेगा।
4.	श्री रंजीत पासवान, ग्राम- बंशीडिहरी, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन किस विधि के द्वारा किया जायेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन मशीन एवं श्रमिक द्वारा किया जायेगा। प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय-जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा। उनके द्वारा संवेदक को निदेश दिया गया कि रैयत के मांग पर निःशुल्क पेड़-पौधा उपलब्ध करावेगें।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख-रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय। छायादार एवं फलदार पेड़ लगाया जाय।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को भेजने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

M/ 30-6-23
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,पटना

अपर सहायक,
भोजपुर

श्री बिजेन्द्र कुमार, पिता-श्री धूपनाथ राय द्वारा सोन -28 बालू घाट, मौजा-बंसीदिहरी, अंचल-सहार, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान- अंचल कार्यालय सहार, दिनांक: 19.06.2023 समय-11:00 A.M.

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मनोज कुमार	ADM Bhojpur	
2.	जगदीश कुमार गुप्त	रामपुरा बिरौडा 50/50 परस 5, पटना	19/6/23
3.	आनंद प्रसाद	स्वतंत्र विकास कार्यालय	19/06/2023
4.	Amit Akhtar	Rion Enclave, Patna	19/6/23
5.	Utkesh /a	B.S.P.C.B, Patna	Utkesh /a
6.	Sabellu Devi	विव- बंसीदिहरी SANK-	SANK
7.	विजय कुमार	बंसीदिहरी	विजय कुमार
8.	रंजन कुमार	ग्राम-बंसीदिहरी, सहार	रंजन
9.	नीलु कुमार शर्मा	ग्राम बंसीदिहरी	NIPPU Kumar 7/2
10.	धीरज कुमार	11	धीरज
11.	सुनील कुमार	ग्राम - बंसीदिहरी सहार	सुनील कुमार
12.	रमेश कुमार	ग्राम बंसीदिहरी	रमेश कुमार
13.	लालू कुमार	ग्राम बंसीदिहरी	लालू कुमार
14.	अजय कुमार	कुमार	अजय कुमार
15.	शैलेंद्र पासवान	शैलेंद्र पासवान	शैलेंद्र पासवान
16.	मुकेश सिंह	मुकेश सिंह	मुकेश सिंह
17.	रिजिक कुमार	ग्राम बंसीदिहरी	Rizik Kumar
18.	विंजु कुमार	ग्राम बंसीदिहरी	Vinay Kumar

19.	Sonadhasi Sagar Banshidilhari	Sonadhasi Sagar	
20.	Vinod Kumar Banshidilhari	Vinod Kumar	
21.	संतोष कुमार	वसिष्ठिहरी	संतोष कुमार
22.	कृष्ण कुमार		
23.	हृदय सिंह	श्वेश	
24.	नीरज कुमार	वसिष्ठिहरी	नीरज कुमार
25.	पंकज कुमार	सहाय	पंकज कुमार
26.	विद्यानारायण	सहाय	शर्केश्वर
27.	कमलेश कुमार	सहाय	कमलेश कुमार
28.	मो. शशिदत्त अमृत	Keen Amrit	Ramkrishna
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			